# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

## (1) अपील संख्या– अपील/टीए/5106/2014/गंगानगर

1– पूर्णसिंह पुत्र सोहनसिंह, जाति जाट सिख, निवासी 22, पी0एस0, रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

2– ओंकार सिंह पुत्र सोहनसिंह, जाति जाट सिख, निवासी 22, पी0एस0, रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

3– द्वारका प्रसाद पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

4– रणवीर कौर पत्नि भूपेन्द्र सिंह, जाति जाट सिख, निवासी 22, पी0एस0, रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

5– मंगतराम पुत्र सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल, जाति विश्नोई, निवासी 11 टी.के. रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

**–अपीलांट्स**

**बनाम**

1– रामदेव सिंह,

2– राजकुमार,

3– विजय कुमार,

4– अरूण कुमार,

5– श्रवण रानी,

6– उषा कुमारी,

7– वीना कुमारी,

पिसरान जंगीरीलाल अकवाम खत्री निवासी नकोदर, जिला जालन्धर (पंजाब) द्वारा मुख्त्यारआम सत्यप्रकाश सरना पुत्र रखाराम, जाति खत्री, निवासी धन मण्डी, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला श्रीगंगानगर ।

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

**–रेस्पोडेंटस**

उपस्थितः–

1– श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस

2– श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

**(2) अपील संख्या– अपील/टीए/5107/2014/गंगानगर**

1– हरबन्स सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह, जाति कम्बों सिख, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

2– गुरभजन कौर पत्नि हरबंस सिंह, जाति कम्बों सिख, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

3– गुरप्रीत कौर पुत्री हरबंस सिंह, जाति कम्बों सिख, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

4– मंगतराम पुत्र सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल, जाति विश्नोई, निवासी 11, टी.के.रायसिंह नगर, तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

**–अपीलांटस**

**बनाम**

1– रामदेव सिंह,

2– राजकुमार,

3– विजय कुमार,

4– अरूण कुमार,

5– श्रवण रानी,

6– उषा कुमारी,

7– वीना कुमारी,

पिसरान जंगीरीलाल अकवाम खत्री निवासी नकोदर, जिला जालन्धर (पंजाब) द्वारा मुख्त्यारआम सत्यप्रकाश सरना पुत्र रखाराम, जाति खत्री, निवासी धन मण्डी, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला श्रीगंगानगर ।

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

1– श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस

2– श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

**(3) अपील संख्या– अपील/टीए/5108/2014/गंगानगर**

1– नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल थोरी, जाति जाट, निवासी रायसिंह नगर, तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

2– राजाराम पुत्र नानूराम, जाति जाट, निवासी 71 एन. पी., तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

3– पृथ्वीराज पुत्र नानूराम, जाति जाट, निवासी 71 एन. पी., तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

4– मंगतराम पुत्र सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल, जाति विश्नोई, निवासी 11, टी.के. रायसिंह नगर, तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

**–अपीलांटस**

**बनाम**

1– रामदेव सिंह,

2– राजकुमार,

3– विजय कुमार,

4– अरूण कुमार,

5– श्रवण रानी,

6– उषा कुमारी,

7– वीना कुमारी,

पिसरान जंगीरीलाल अकवाम खत्री निवासी नकोदर, जिला जालन्धर (पंजाब) द्वारा मुख्त्यारआम सत्यप्रकाश सरना पुत्र रखाराम, जाति खत्री, निवासी धन मण्डी, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला श्रीगंगानगर ।

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

1– श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस

2– श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

**(4) अपील संख्या– अपील/टीए/5109/2014/गंगानगर**

1– शंकरलाल पुत्र हरिकिशन जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

2– कालूराम पुत्र हरिकिशन जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी वार्ड नंबर 2, रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

3– श्रीमती विमला देवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी वार्ड नंबर 18, रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

4– श्रीमती उमा देवी पत्नी दीनदयाल जाति अग्रवाल निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

5– इन्द्रकुमार पुत्र हरिकिशन जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर (फौत दिनांक 05.11.2011 के कायम मुकाम):–

5/1– श्रीमती सलोचना बेवा स्व0 इन्द्रकुमार जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

5/2– अश्वनी पुत्र स्व0 इन्द्रकुमार जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

5/3– चेष्टा पुत्री स्व0 इन्द्रकुमार जाति अग्रवाल सरावगी, निवासी रायसिंह नगर, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

6– मंगतराम पुत्र सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल, जाति विश्नोई, निवासी 11, टी.के. रायसिंह नगर, तह0 रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

**–अपीलांट्स**

**बनाम**

1– रामदेव सिंह,

2– राजकुमार,

3– विजय कुमार,

4– अरूण कुमार,

5– श्रवण रानी,

6– उषा कुमारी,

7– वीना कुमारी,

पिसरान जंगीरीलाल अकवाम खत्री निवासी नकोदर, जिला जालन्धर (पंजाब) द्वारा मुख्त्यारआम सत्यप्रकाश सरना पुत्र रखाराम, जाति खत्री, निवासी धन मण्डी, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला श्रीगंगानगर ।

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

1– श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस

2– श्री शंकरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट संख्या 5/2

2– श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

**खण्डपीठ**

**श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष**

**श्री रामदयाल मीणा, सदस्य**

**निर्णय**

**दिनांकः– 27.06.2024**

अपीलांटस द्वारा यह चारों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 112/2002 उनवानी रामदेव सिंह बनाम सरस्वती देवी में पारित निर्णय दिनांक 15–04–2013 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी हैं।

2– चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध पेश किये जाने से चारों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

3– चारों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी बृजलाल ने एक वाद संख्या 49/1975 विरूद्ध

रामदेव सिंह व अन्य के अंतर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955 के तहत सहायक जिलाधीश, रायसिंह नगर के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि चक 11 टी.के. के मुरब्बा नंबर 43 में स्थित 25 बीघा व मुरब्बा नंबर 45 में 13 बीघा 18 बिस्वा (किला नंबर) 12 में 18 बिस्वा व किला नंबर 13 से 25 की 13 बीघा कुल 38 बीघा 18 बिस्वा को छज्जूराम ने बीकानेर रियासत से खरीद की थी । छज्जूीराम की मृत्यु हो चुकी है, उसके दो पुत्र जंगीरीलाल व विद्यासागर थे । विद्यासागर की मृत्यु 12 वर्ष निसंतान हो चुकी है। जंगीरीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके 5 पुत्र व 3 पुत्रियां है जो जालन्धर, पंजाब में रहते है । वादी उक्त भूमि पर राजस्थान जर्मींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के पूर्व से निरन्तर काबिज काश्तकार है। छज्जूराम की विवादित भूमि खुदकाश्त नहीं थी । राजस्थान जर्मींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1956 गंग कैनाल क्षेत्र में 15 जनवरी 1960 को प्रभाव में आया था । जो भूमि मालिक बिस्वेदार के खुदकाश्त व कब्जे की नहीं थी वह राजस्थान सरकार में निहित हो गई तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकी है जिनकी दुरूस्ती के लिए वादी ने प्रतिवादीगण से बार–बार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम करवाने के लिए कहा तब उन्होंने दिनांक 30.04.1973 को साफ इंकार कर दिया। इस कारण उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जो तामील नहीं होने पर रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन जारी किए किन्तु तामील नहीं होने पर जालन्धर (पंजाब) के दैनिक समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशित किए गए किन्तु प्रतिवादीगण के हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही की गई । तत्पश्चात् सरकार की ओर से जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम की जाकर दिनांक 26.02.1976 को वादी का वाद डिक्री किया गया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने 22 वर्ष उपरांत प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर मानकर निर्णय दिनांक 11.11.1998 को खारिज कर दी । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रामदेव वगैरह ने एक निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की जिसे 2000/–रू0 कोस्ट पर निर्णय दिनांक 16.07.2002 को स्वीकार कर पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को गुणावगुण के आधर पर निर्णित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.2013 से अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि क्रेतागण को पक्षकार बनाते हुए उनको सुनकर पुनः वाद का निर्णय करे । अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध यह चारों अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

4– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश कर कथन किया कि प्रश्नाधीन निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाये बिना ही पारित किया गया है जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सिंचाई की राशि आदि नियमानुसार सरकार को अदा करते आ रहे है । अपीलीय न्यायालय के

निर्णय से प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6– विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इस कारण आक्षेपित निर्णय की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से अदालती नोटिस प्राप्त होने पर आक्षेपित निर्णय की जानकारी हुई । तत्पश्चात् आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपीलें पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7– विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2023 विधि, विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने दिनांक 29.6. 2009 को प्रार्थना पत्र पेश कर सूचित किया था कि समस्त वादग्रस्त आराजी मुरब्बा नबर 43 के 25 बीघा व मुरब्बा नंबर 45 के 13 बीघा 13 बिस्वा वाके रायसिंह नगर का बेचान रेस्पोडंटस द्वारा कर दिया गया है व केतागण जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपील में पक्षकार बनाया जावे किन्तु अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं देकर भूमि वादग्रस्त के काबिज रिकार्डेड खातेदारान हाल अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय अपीलांटस को सूचना व नोटिस दिये बिना पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल की विधिवत् तामील के अभाव में अपने निर्णय में मात्र सरस्वती देवी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने का उल्लेख कर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किया जाना अंकित किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पो0 संख्या 1 सरस्वती देवी की कोई विधिवत् तामील नहीं हुई व सरस्वती देवी पुत्री बृजलाल का स्वर्गवास बीमारी के कारण दिनांक 25.05.2014 को हो गया है । विधिक तामील के अभाव में पक्षकार को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित प्रश्नाधीन निर्णय काबिल निरस्तनीय है । अपील में निर्णय केस की मेरिट पर दिया जाना होता है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया है जो आदेश 41 नियम 13 जा0दी0 के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन निर्णय मात्र तामील के बिन्दु को आधार बनाकर पारित किया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को मुकदमें के गुणावगुण पर ही निर्णय प्रदान करना चाहिये । अपील में तामील का बिन्दू नहीं देखा जा सकता है । तामील के बिन्दू की जांच आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत विचारण न्यायालय में ही की जा सकती है । अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से अपील परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02. 1976 के विरूद्ध 22 वर्ष के असाधारण विलंब के पश्चात् वर्ष 1998 में पेश की गई थी जबकि डिक्रीदार बृजलाल बहैसियत खातेदार काश्तकार विवादित भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता था व उसके स्वर्गवास के पश्चात् मृतक के वारिस काबिज काश्त रहे जिन्होंने अपनी

खातेदारी की भूमि का बेचान हाल अपीलांटस को किया है। अपीलांटस सद्भाविक क्रेता होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार होकर काबिज काश्त है तथा रिकार्डेड खातेदार के हक, स्वत्व व अधिकार प्रश्नगत निर्णय से प्रभावित होने के कारण व्यथित पक्षकार है । अपीलीय न्यायालय के समक्ष वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2009 को प्रस्तुत कर सूचित कर दिया था कि वादग्रस्त समस्त भूमि का विक्रय रेस्पो0 द्वारा कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व था कि वह क्रेतागण को आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत स्वविवेक से पक्षकार अपील बनाकर उन्हें सूचित कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर उचित निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा न कर उनमें निहित अधिकारों की अनदेखी कर पारित एकपक्षीय निर्णय न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 15.04.2013 निरस्त किया जावे ।

8– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि जंगीरीलाल व विद्यासागर को आवंटित भूमि थी जो जरिये नौकर से काश्त करवाते थे । बृजलाल ने रेस्पो0 को धोखे में रखकर अपने आप को नौकर के बजाय मुजारा बताकर विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा में वाद डिक्री करवा लिया । रेस्पो0 न तो जर्मींदार थे ना ही बिस्वेदार थे और ना ही उनकी सम्पति धारा 30 राज0जर्मींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अंतर्गत आती थी । विवादित भूमि गंग कैनाल क्षेत्र की है जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है । विचारण न्यायालय ने बृजलाल का नाम गिरदावरी में अंकित होने के आधार पर

वाद डिक्री किया है जबकि खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है । विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि विवादित भूमि के रिकार्ड के अनुसार क्रेतागण को पक्षकार बनाते हुए उनको जरिये नोटिस तलब कर पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार पुनः वाद को निर्णित करे । अपीलीय न्यायालय का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7– हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

8– हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें वाद एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया था । विधिनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सुना जाना आवश्यक है । विवादित भूमि के अपीलांटस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से विवादित भूमि बाबत् पारित निर्णय से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9– धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि चूंकि अपीलांटस प्रकरण में लिप्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपील में पक्षकार कायम नहीं किया गया था इस कारण आक्षेपित निर्णय की जानकारी अपीलांटस का तत्समय होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10– प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बृजलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.1976 को डिक्री किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने 22 वर्ष के असाधारण विलंब पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सन् 1998 में असाधार विलंब से पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने विलंब के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित किए बिना आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलांटस ने विवादित भूमियां खातेदार बृजलाल के वारिसान से जरिये विक्रय पत्र क्रय की है । इस संबंध में अपील पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार प.नं. 204/296 मु.नं. 43 कि.नं. 21 व 22, प.नं. 205/297 मु.नं. 47 के कि.नं. 21, 22, 23, 24, 25 के खातेदार शंकरलाल वल्द हरीकिशन कौम अग्रवाल, साकिन रायसिंहनगर अंकित है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में प.नं. 204/296 मु.नं. 43 के कि.नं. 13, 14, 15, 16/1, 17/1, 18/1 के खातेदार अपीलांटस पूर्णसिंह, ओंकारसिंह

पि. सोहनसिंह कौम जट सिख अंकित है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2069–72 में प.नं. 206/296 मु.नं. 45 के कि.नं. 17, 18/1, 19/1, 20/1 के खातेदार अपीलांट नरेन्द्रसिंह वल्द मोहनलाल अंकित है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2069–72 के पं.नं. 206/296 मु. नं. 45 के कि.नं. 21, 22, 23, 24, 25 के खातेदार हरबंशसिंह वल्द गुयदित्तसिंह, गुरभजन कौर पत्नि हरबंस सिंह, पं.नं. 45 के कि.नं. 15, 16 के खातेदार गुरप्रीत कौर पुत्री हरबंस सिंह खातेदार अंकित है । उक्त समस्त तथ्य राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध होने के बावजूद अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में बिना मियाद को कण्डोन किए प्रकरण रिमाण्ड किया है जबकि उनको सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू का विनिश्चय उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर करना चाहिए था । जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित विलंब कण्डोनेशन के आवेदन में वर्णित तथ्यों के बारे में संतुष्ट होने या ना होने का स्पष्ट अंकन करना था ।

11– इसी प्रकार उनके द्वारा अपने निर्णय में सभी संबंधित को पक्षकार बनाने का अंकन करना व उनको समुचित सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया जाना स्वंय के न्यायालय में विचाराधीन अपील में किया जाना भी अपेक्षित था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मुताबिक संबंधित रिकार्ड से खातेदार होना प्रकट है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते समय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश 41 नियम 31 की पालना करते हुए तनकीवार विश्लेषण करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुए प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिये था ताकि नियमों की पालना होती जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । उपरोक्त विवेचन के

क्रम में राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है ।

12– परिणामत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांटस को अपील में पक्षकार संयोजित कर, उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब बाबत् अपना स्पष्ट अभिमत पारित कर अपील में गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में पारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष